प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 27.11.2025

सार्वजनिक सूचना संख्या- 62/2025

विषय: SWIFT 2.0 का लॉन्च तथा एक्यूसीएस (AQCS), पीक्यूएमएस (PQMS) और FSSAI के SWIFT 2.0 पर NOC प्रक्रिया हेतु एकल संपर्क बिंदु (Single Touch Point) के रूप में लागू करना।

आयातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर और अन्य सभी हितधारकों का ध्यान वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 29/2025-सीमा शुल्क दिनांक 21.11.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड व्यापार सुगमीकरण हेतु एकल संपर्क बिंदु (SWIFT 2.0) विकसित कर रहा है, जो एक उन्नत, एकीकृत और पूर्णतः डिजिटल एकल विंडो प्लेटफ़ॉर्म है। इसका उद्देश्य आयातकों, निर्यातकों, अन्य हितधारकों तथा सभी सहभागी सरकारी एजेंसियों (Partner Government Agencies - PGAs) को EXIM प्रक्रियाओं से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सुविधा प्रदान करना है। SWIFT 2.0 उन्नत स्वचालन, सुगम डेटा विनिमय और सहभागी सरकारी एजेंसियों से संबंधित EXIM क्लियरेंस की शुरू से अंत तक पूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग उपलब्ध कराता है। SWIFT का पूर्व संस्करण दस्तावेज़-आधारित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) क्लियरेंस प्रणाली के रूप में कार्य करता था, जबकि SWIFT 2.0 एक उन्नत, पूर्णतः डिजिटल एवं डेटा-संचालित प्लेटफ़ॉर्म है, जो व्यापार से जुड़े व्यापक हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।

3. आयातकों, निर्यातकों और अन्य व्यापारिक हितधारकों के लिए SWIFT 2.0 के तहत निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी–

- आयातक एवं निर्यातक सहभागी सरकारी एजेंसियां (PGAs) से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त डेटा फ़ील्ड और दस्तावेज़ सीधे SWIFT 2.0 में जमा कर सकेंगे, जिससे PGAs के साथ भौतिक संपर्क की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- उपयोगकर्ता एक एकीकृत डैशबोर्ड पर अपनी सभी विवरणों को देख सकेंगे और पूछे गए प्रश्नों पर प्राप्त उत्तरों का अनुगमन कर सकेंगे और किसी भी सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGA) के साथ अपने पूर्व लेन-देन इतिहास की समीक्षा कर सकेंगे।
- व्यापार सदस्य अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवेदनों की स्थिति संबंधी वास्तविक समय में SMS और ईमेल अलर्ट प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें किसी भी आवश्यक कार्रवाई के बारे में उन्हें तुरंत जानकारी मिल सकेगी।
- उपयोगकर्ता प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन सहभागी सरकारी एजेंसि (PGA) शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और अपने रिकॉर्ड हेतु डिजिटल रसीदें प्राप्त कर सकेंगे।

- व्यापारिक हितधारकों को PGAs द्वारा किए जाने वाले दृश्य निरीक्षण (visual inspection) की निर्धारित तिथि और समय की जानकारी दी जाएगी तथा वे SWIFT 2.0 प्लेटफ़ॉर्म पर ही उसकी पुष्टि को प्राप्त कर सकेंगे।
- आयातक और निर्यातक PGAs द्वारा जारी स्वीकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOCs) को डिजिटल रूप में देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
- व्यापार समुदाय को एक सुगम और एकीकृत अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने वाली सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGAs) को धीरे-धीरे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ा जा रहा है, जिससे विभिन्न सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGAs) की कई प्रणालियों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

4. इस संबंध में SWIFT के पूर्व संस्करण के संदर्भ में जारी बोर्ड परिपत्र सं. 09/2015-Cus दिनांक 31.03.2015, परिपत्र सं. 03/2016-Cus दिनांक 03.02.2016 तथा परिपत्र सं. 10/2016-Cus दिनांक 15.03.2016 की ओर ध्यान आकर्षित जाता है । इन परिपत्रों के माध्यम से SWIFT के पूर्व संस्करण में छह सहभागी सरकारी एजेंसियों–भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), प्लांट क्वारंटाइन (PQ), एनिमल क्वारंटाइन एवं प्रमाणन सेवा (AQCS), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) तथा टेक्सटाइल समिति (TC) के परीक्षण-संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने हेतु एक लैब मॉड्यूल–को एकीकृत किया गया था, ताकि जीवित माल (Live Consignments) के लिए आवश्यक NOC/परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की जा सके। उक्त SWIFT प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आयातकों को अपने क्लीयरेंस दस्तावेज़ों को ICEGATE पर एक ही स्थान पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे जोखिम-आधारित निरीक्षण तथा सहभागी सरकारी एजेंसियों से ऑनलाइन NOC प्राप्त करना संभव हो सका। तथापि, यदि किसी सहभागी सरकारी एजेंसि (PGA) द्वारा आवश्यकता महसूस की जाती थी, तो आयातकों को संबंधित सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGA) के पोर्टल पर अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य था, ताकि NOC के प्रसंस्करण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

5. SWIFT 2.0 के अंतर्गत उपर्युक्त (अनुच्छेद 3 में उल्लिखित) सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 60 सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGAs) को चरणबद्ध रूप से ऑनबोर्ड किए जाने का प्रस्ताव है। SWIFT 2.0 के प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGAs) द्वारा आवश्यक डेटा फ़ील्ड/मान एवं अनिवार्य दस्तावेज़ों की समेकित सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है–

(क) एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज (AQCS);
(ख) प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम (PQMS);
(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)।

AQCS, PQMS तथा FSSAI के लिए निर्धारित डेटा तत्वों तथा दस्तावेज़ कोड की विस्तृत सूची परिपत्र सं. 29/2025- सीमा शुल्क, दिनांक 21.11.2025 के साथ क्रमशः अनुलग्नक-A, अनुलग्नक-B और अनुलग्नक-C के रूप में संलग्न की गई है, जिसे संदर्भ हेतु देखा जा सकता है।

6. इन डेटा फ़ील्डों/मानों तथा अनिवार्य दस्तावेज़ों का निर्धारण व्यापार हेतु EXIM क्लीयरेंस के लिए एकल संपर्क बिंदु (Single Touch Point) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अंतर्विभागीय परामर्श (Inter-Ministerial Consultations) के उपरांत किया गया है। इस प्रक्रिया में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पादप संरक्षण, संगरोधन

एवं भंडारण निदेशालय (DPPQS), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) सम्मिलित रहे हैं।

7. अंतिम रूप से निर्धारित डेटा तत्वों एवं दस्तावेज़ कोडों का प्रभावी कार्यान्वयन 'बी.ई. (Bill of Entry)' में समेकित घोषणा (Integrated Declaration) के माध्यम से किया जाएगा। जहाँ भी आयातित माल (Import Consignments) सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGAs) द्वारा क्लीयरेंस हेतु अधीन हो, वहाँ व्यापारिक समुदाय द्वारा उक्त डेटा तत्वों एवं दस्तावेज़ों की घोषणा/अपलोडिंग 'Bill of Entry' दायर करते समय अथवा SWIFT 2.0 के अंतर्गत उपलब्ध एकीकृत आवेदन डैशबोर्ड में अतिरिक्त विवरण एवं दस्तावेज़ दाखिल करते समय घोषित करना आवश्यक होगा।

8. सभी हितधारकों को यह सूचित किया जाता है कि जहाँ भी आयातित माल (Import Consignments) सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGAs) द्वारा क्लीयरेंस हेतु अधीन हो, वहाँ बी.ई. (Bill of Entry) दायर करते समय या SWIFT 2.0 के अंतर्गत उपलब्ध एकीकृत आवेदन डैशबोर्ड में अतिरिक्त विवरण एवं दस्तावेज़ दाखिल करते समय आवश्यक डेटा/दस्तावेज़ों की सटीक (Accurate) फाइलिंग और अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए।

9. विषय से संबंधित अधिक जानकारी हेतु DG Systems/ICEGATE वेबसाइट द्वारा जारी विस्तृत परामर्श (Advisories) का संदर्भ लिया जा सकता है। तीनों सहभागी सरकारी एजेंसियों (PGAs) के लिए अनिवार्य (Mandatory) फाइलिंग की प्रारंभिक तिथि 01.12.2025 से लागू होगी।

10. इस सुविधा के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ होने की स्थिति में इसे अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, टेक्निकल (Import), हवाई माल परिसर, मुंबई के संज्ञान में लाया जा सकता है (ईमेल - pro.acc-sahar@gov.in)। सहायता, स्पष्टीकरण एवं जानकारी हेतु संबंधित आयातक हमारे तुरंत सुविधा केंद्र (TSK - Turant Suvidha Kendra) से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण: ईमेल - tsk.accmumbaizone3@gov.in, दूरभाष - 022-26816696।

मनीष चन्द्रा

(मनीष चन्द्रा)
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात),
हवाई माल परिसर, मुंबई।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन -III, मुंबई.
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), ACC, मुंबई
3. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
4. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
5. सभी उपायुक्त/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आयात और निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
6. व्यापार संघ
7. CB संघ (BCBA)

8. MIAL/एयर इंडिया
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन के लिए)
10. कार्यालय प्रतिलिपि